अपील सूचना अधिकार संख्या 100/2021(GCMS 2021/156)(आरटीआई नं. 212116709814774) श्री सितारा बानो पुत्री श्री रहीम बक्श भाटी निवासी वार्ड नं. 4 हाल 6 थोरी कॉलोनी रायसिंहनगर, तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर <u>बनाम</u> उपखण्ड अधिकारी (भू.अ.) रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>22.03.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सितारा बानो स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (भू.अ.), रायसिंहनगर** से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.08.2021 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी से सूचना दिलवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी सितारा बानो ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.08.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी:

> उपखण्ड अधिकारी (भूमि रूपान्तरण), रायसिंहनगर मिसल 2/93 निर्णय दिनांक 05.08.1993 भूमि रूपान्तरण पट्टा विलेख प्रार्थिया सितारो बानो पुत्री रहीम बक्श भाटी निवीास रायसिंहनगर के नाम आवासीय भूखण्ड चक 25 पीएस का भूखण्ड साईज [illegible] गुणा 45 फुट के पट्टा की प्रमाणित प्रतिलिपि।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:21:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक लो.सू.अ./2021/1092 दिनांक 14.10.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा प्रार्थीया सितारा बानो पुत्री श्री रहीम बक्श भाटी निवासी वार्ड नं. 6 रायसिंहनगर के द्वारा कार्यालय की मि.स. 2/93 निर्णय दिनांक 05.08.1993 के द्वारा जारी भूमि रूपान्तरण पट्टा की नकल चाही जा रही है। मुताबिक रिकॉर्ड तलाश करने पर उक्त अनवान् की मिसल इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हो रही है। ना ही जमा शुद्धा पत्रावली माह 8/1993 की सूची में उक्त अनवान् की मिसल का अंकन है।

अतः उक्त रिकॉर्ड पुनः तलाश किया जा रहा है। प्रार्थीया के द्वारा चाहा गया रिकॉर्ड लगभग 28 वर्ष से अधिक समय का है। जिसे तलाश करने के लिए कमेटी का गठन किया गया हैं। जिसकी प्रति संलग्न है। उक्त पत्रावली कार्यालय में प्राप्त होने पर प्रार्थीया को नियमानुसार नकल उपलब्ध करवा दी जावेगी। सूचना श्रीमान् जी की सेवा में सादर प्रेषित हैं

संलग्न : उक्तानुसार।

भवदीया
-sd-
(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:21:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक सू.का.अ./22/1745 दिनांक 25.04.2022 से निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासांगिक पत्र के द्वारा प्रार्थीया सितारा बानो पुत्री श्री रहीम बक्श भाटी निवासी वार्ड नं. 06 रायसिंहनगर के द्वारा कार्यालय की मि.स. 2/93 निर्णय दिनांक

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

05.08.1993 के द्वारा जारी भूमि रूपान्तरण पट्टा जारी की नकल चाही जा रही है। मुताबिक रिकॉर्ड तलाश करने पर उक्त अनवान् की मिसल इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हो रही है। ना ही जमा शुद्धा पत्रावली माह 8/1993 की सूची में उक्त अनवान की मिसल का अंकन है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सूकाअ/21/1087 दिनांक 11.10.2021 के द्वारा पत्रावली तलाश करने हेतु कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा पत्रावली को तलाश करने पर पत्रावली रिकॉर्ड में नही मिली। पत्रावली मिलने पर नियमानुसार सूचना प्रार्थीया को उपलब्ध करवाते हुए एक प्रति आपके कार्यालय में भिजवा दी जायेगी।

सूचना सादर प्रेषित हैं

संलग्न : गठित कमेटी रिपोर्ट।

-sd-
(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी,
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने उक्तानुसार अपील का जवाब प्रेषित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:21:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा **जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है।** सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इसलिए उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलाथी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:21:21 IST
Reason: SelfAttested